उपस्थिति — किरण ओझा

न्यायालय—सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमराँव

मनी सूट सं0—03 / 2018
सी0आई0एस0—100 / 2018

प्रमोद कुमार सिंह............................वादी।

बनाम्

विनोद कुमार सिंह वगै0 ....प्रतिवादीगण।

आदेश

11.08.2026 उभय पक्ष की पैरवी है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर वादी की ओर से आज कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी को सदेह उपस्थित होकर पैरवी करने के लिए दिनांक 30.06.2026 अंतिम अवसर भी दिया गया था। वादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चला आ रहा है। पुकार पर आज भी वादी उपस्थित नहीं हुए। अतः इससे प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं रह गया है, जब कि वाद वर्ष 2018 से लम्बित है। ऐसी परिस्थिति में इस वाद को और अधिक समय के लिए लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस वाद को वादी द्वारा पैरवी नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(किरण ओझा)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमराँव (बक्सर)